हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 22 अगस्त, 2016 को माननीय अध्यक्ष श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 14.00 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।

22.8.2016/1400/AV-AG/1

अध्यक्ष : मोनसून सत्र में भाग लेने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी माननीय सदस्यों से मेरा यह निवेदन रहेगा कि सदन की कार्यवाही को सौहार्दपूर्ण वातावरण में चलाने में मुझे सहयोग दें। मेरा यह भरसक प्रयास रहेगा कि सभी माननीय सदस्यों को सदन में नियमों की परिधि में रहकर अपनी-अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर मिले। वहीं मैं सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि वह माननीय सदस्यों द्वारा चाही गई सूचना का उत्तर पूर्णतया दें।

इससे पूर्व कि आज की बैठक आरम्भ करें, मेरा सभा मण्डप में बैठे सभी सदस्यों से निवेदन है कि वे सभी राष्ट्रीय गान के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(सभा मण्डप में बैठे सभी माननीय सदस्य राष्ट्रीयगान के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

शोकोद्गार

अब शोकोद्गार होंगे।

अब माननीय मुख्य मंत्री जी स्वर्गीय मेज़र जनरल बिक्रम सिंह, श्री बिक्रम महाजन, पूर्व सांसद और सर्वश्री बाबू राम मण्डयाल, कुलदीप सिंह एवं सीता राम, पूर्व सदस्य, हिमाचल प्रदेश विधान सभा के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि सांसद मेज़र जनरल बिक्रम सिंह (सेवानिवृत) का 28 जून, 2016 को उनके पैतृक गांव में निधन हो गया। यह मान्य सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट

करता है। स्वर्गीय मेज़र जनरल बिक्रम सिंह का जन्म 5 सितम्बर, 1929 को दौलतपुर, जिला ऊना में हुआ था। उन्होंने मैट्रिक तक की शिक्षा डी0ए0वी0 स्कूल दौलतपुर चौक से

22.8.2016/1400/AV-AG/2

प्राप्त की तथा एफ0सी0 कॉलेज लाहौर एवं राजकीय महाविद्यालय होशियारपुर से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। स्वर्गीय मेज़र जनरल बिक्रम सिंह वर्ष 1996 में प्रथम बार संसदीय सदस्य (लोक सभा) निर्वाचित हुए। वह जून, 1952 में भारतीय सेना की गोरखा रेजिमैंट में शामिल हुए तथा 30 सितम्बर, 1985 को मेज़र जनरल के पद से सेवानिवृत हुए थे। वे दो बार अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित हुए तथा भारतीय ऐक्स सर्विस मैन लीग के दो बार अध्यक्ष रहे। वे वर्तमान में एच0पी0 ऐक्स सर्विस मैन कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक थे। उनकी सामाजिक कार्यों तथा गरीब लोगों की सेवा में विशेष रूचि थी। उन्होंने हमेशा ही पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। यह माननीय सदन मेज़र जनरल बिक्रम सिंह जी द्वारा

जारी श्री टी0सी0द्वारा

22/08/2016/1405/TCV/AG/1

माननीय मुख्य मंत्री जारी ---

प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है तथा उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए, ईश्वर से दिवंगत् आत्मा की शान्ति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करता है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को ये सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि पूर्व सांसद एवं केन्द्रीय मंत्री श्री बिक्रम महाजन का 12 अगस्त, 2016 को उनके निवास स्थान नई दिल्ली में निधन हो गया था। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय श्री बिक्रम महाजन का जन्म 27 मार्च, 1935 को लाहौर में हुआ लेकिन वह मूलतः गांव भडवार,तहसील नूरपूर, जिला कांगड़ा के निवासी थे। उन्होंने एफ0सी0 कॉलेज व स्टीफन कॉलेज़ तथा दिल्ली विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा प्राप्त की । स्वर्गीय श्री विक्रम महाजन ने चौथी, पांचवीं तथा सातवीं लोक सभा में प्रदेश का प्रतिनिधित्व किया। वे शुरू से ही कांग्रेस विचारधारा से जुड़े रहे। वे लोक सभा की Committee on Subordinate Legislation, Joint Select Committee for Separation of Judiciary from Executive, Hill Area sub Committee of PAC के सभापति तथा कांग्रेस पार्टी के लोक सभा में डिप्टी चीफ़ विहिप भी रहे। वे वर्ष 1980-1984 तक तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के मंत्री मण्डल में ऊर्जा मंत्री रहे। उनकी सामाजिक कार्य तथा गरीब लोगों की सेवा में विशेष रूचि थी। उन्होंने हमेशा ही पिछड़े तथा कमज़ोर वर्ग के उत्थान के लिए

22/08/2016/1405/TCV/AG/2

कार्य किया। यह माननीय सदन श्री बिक्रम महाजन जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रसंशा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत् आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुःख हो रहा है कि पूर्व विधायक, श्री बाबू राम मण्डयाल का 4 जुलाई, 2016 को उनके पैतृक गांव में निधन हो गया। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्वर्गीय श्री बाबू राम मण्डयाल का जन्म 20 जनवरी, 1938 को हमीरपुर में हुआ था। उन्होंने दसवीं की परीक्षा नादौन हाई स्कूल से प्राप्त की । इसके अलावा डी0ए0वी0 कॉलेज़ होशियारपुर में स्नातक तथा राजकीय महाविद्यालय जालंधर से एल0एल0बी0 की डिग्री प्राप्त की। स्वर्गीय श्री बाबू राम मण्डयाल वर्ष 1967 में प्रथम बार हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। उसके उपरान्त वह वर्ष 1972 एवं 1998 में भी राज्य विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। वे 1972 से 1977 तक मुख्य संसदीय सचिव तथा सदन की विभिन्न समितियों के सदस्य भी रहे। वे वर्ष 1967 में राज्य सहकारी सलाहकार सिमति के सभापति तथा 1982 से

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

22/08/2016/1410/NS/AS/1

मुख्य मंत्री ------ जारी

1984 तक जिला सहकारी विपणन परिसंघ हमीरपुर के सभापति के अतिरिक्त कांगड़ा सहकारी भूमि विकास बैंक, लाहौल आलू उत्पादक सहकारी संस्था समिति तथा हिमाचल एकता एवं शान्ति संगठन शिमला के सभापति तथा उप-सभापति के पदों पर भी रहे। उनकी सामाजिक कार्यों तथा गरीब लोगों की सेवा में विशेष रूचि थी। उन्होंने हमेशा ही पिछड़े एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया। यह माननीय सदन श्री बाबू राम मण्डयाल जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह सदन ईश्वर से

दिवंगत आत्मा की शान्ति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है।

22/08/2016/1410/NS/AS/2

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यन्त दुःख हो रहा है कि पूर्व विधायक श्री कुलदीप सिंह का 22 जुलाई, 2016 को उनके पैतृक गांव में निधन हो गया। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्व. श्री कुलदीप सिंह का जन्म 28 सितम्बर, 1928 को बिलासपुर में हुआ था। उन्होंने स्नातक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त की। स्व. श्री कुलदीप सिंह वर्ष 1972 में प्रथम बार हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1957 से 1963 तक जिला सहकारी संघ बिलासपुर के उप-सभापति तथा वर्ष 1958 से 1961 तक हिमाचल प्रदेश सहकारी विकास संघ के सदस्य और वर्ष 1955 से 1957 तक ज़िला बिलासपुर कांग्रेस समिति के सदस्य रहे। उनकी सामाजिक कार्यों तथा गरीब लोगों की सेवा में विशेष रूचि थी। उन्होंने हमेशा ही पिछड़े एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया। यह माननीय सदन श्री कुलदीप सिंह जी द्वारा प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शान्ति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है।

22/08/2016/1410/NS/AS/3

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस माननीय सदन को यह सूचित करते हुए अत्यंत दुःख हो रहा है कि पूर्व विधायक श्री सीता राम शर्मा का 15 जुलाई, 2016 को उनके पैतृक गांव में निधन हो गया। यह माननीय सदन उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। स्व. श्री सीता राम शर्मा का जन्म 1 अप्रैल, 1940 को बिलासपुर में हुआ था। उन्होंने हायर सैकेण्डरी स्तर की शिक्षा स्थानीय पाठशाला से प्राप्त की। स्व. श्री सीता राम शर्मा वर्ष 1972 में प्रथम

बार हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए। वे वर्ष 1960 में बिलासपुर कांग्रेस समिति के महासचिव तथा ग्राम पंचायत महाराणा के प्रधान भी बने। वे वर्ष 1975 से 1984 तक राज्य सहकारी बैंक के प्रधान रहे। उनकी सामाजिक कार्यों तथा गरीब लोगों की सेवा में विशेष रूचि थी। उन्होंने हमेशा ही पिछड़े एवं कमज़ोर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए कार्य किया। यह माननीय सदन श्री सीता राम शर्मा जी द्वारा

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

22/08/2016/1415/RKS/AS/1

मुख्य मंत्री जारी....

प्रदेश तथा समाज के लिए की गई सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा करता है। उनके निधन पर हार्दिक संवेदना प्रकट करते हुए यह माननीय सदन ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति तथा उनके परिजनों को इस असहनीय दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता है।

22/08/2016/1415/RKS/AS/2

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र और मॉनसून सत्र प्रारम्भ होने के बीच प्रदेश ने 5 जनप्रतिनिधि खोए हैं। स्वर्गीय श्री बिक्रम महाजन, स्वर्गीय श्री मेहर चन्द महाजन, जो भारतवर्ष के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, उनके सुपुत्र थे। श्री महाजन जी 3 बार सांसद रहे। वह बहुत ही मिलनसार और सामाजिक प्राणी थे। संसद के केन्द्रीय हॉल में उनसे हमेशा मुलाकात होती रहती थी। वे पार्टी में अनेक पदों पर रहे और केन्द्र में भी मंत्री रहे। प्रदेश के लिए यथासम्भव जो कर सकते थे उसके लिए उन्होंने प्रयास किया।

मेजर जनरल बिक्रम सिंह कंवर जी सेना में शानदार काम करने के उपरान्त सन् 1996 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और विजयी रहे। वे सामाजिक सेवा में पूरी रुचि रखते थे और एक सम्मानित सेना के अधिकारी के तौर पर सेवानिवृत्त हुए । जिस समय उनका देहान्त हुआ उस समय वे एक्स-सर्विसमैन कॉरपोरेशन के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर थे।

स्वर्गीय सीता राम शर्मा जी, घुमारवीं निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे और सहकारी आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने अनेकों वर्षों तक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से समाज की सेवा की।

श्री बाबू राम मण्डयाल तीन बार इस माननीय सदन के सदस्य रहे। 1967 में वे एक स्वतंत्र विधायक के तौर पर विजयी हुए थे। 1972 में वे कांग्रेस के विधायक और 1998 में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के तौर पर अपना चुनाव जीते। सन् 1972 से 1977 तक वे मुख्य संसदीय सचिव भी रहे। सहकारी आंदोलन में श्री बाबू राम मण्डयाल जी का बहुत अद्वितीय योगदान रहा। वे समाज सेवा में पूरी रुचि रखते थे और बहुत अध्ययन भी करते थे। जो लोग उनके साथ विधान सभा में रहे हैं उन्हें याद होगा कि वे हर मुद्दे पर पूरे अध्ययन के साथ बोलते थे और उनका पार्टिसिपेशन बहुत एक्टिव होता था।

22/08/2016/1415/RKS/AS/3

श्री कुलदीप सिंह जी को "मियां" कहकर बुलाया जाता था। उनका देहान्त 87 वर्ष की आयु में हुआ। वे कोट-कहलूर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक रहे और सामाजिक सेवाओं में बहुत रुचि लेते थे। इन पांचों महानुभावों को मैं अपने विधायक दल की ओर से और अपनी ओर से श्रद्धांजलि भेंट करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को अपने चरणों में स्थान दें।

22/08/2016/1415/RKS/AS/4

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, हम आज दिवंगत आत्माओं को याद कर रहे हैं। उनकी मृत्यु से हम सबको एक झटका सा लगा।

श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

22.08.2016/1420/ SLS-DC/-1

माननीय सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री... ...जारी

मेजर जनरल बिक्रम सिंह जी का जन्म 5 सितम्बर, 1929 को दौलतपुर चौक, जिला ऊना में हुआ था। इन्होंने एफ.सी. कॉलेज लाहौर व राजकीय महाविद्यालय, होशियारपुर से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। वर्ष 1952 में ये सेना की गोरखा रैजीमैंट में शामिल हुए और 30 सितम्बर, 1985 को मेजर जनरल के पद से सेवा निवृत्त हुए। दो बार अति विशिष्ट सेवा मैडल से सम्मानित भी हुए। वर्ष 1996 में लोक सभा सदस्य निर्वाचित हुए। दो बार भारतीय एक्स सर्विसमैन लीग के अध्यक्ष भी रहे। उनका देहांत 86 वर्ष की आयु में 28 जून, 2016 को उनके जन्म स्थान दौलतपुर चौक, ऊना में हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि उनके परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे। इनके देहांत से मेरे दिल में बड़ा दुख हुआ है।

दूसरी ऐसी दुखद घटना जो हाल ही में घटी है, जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, वह हमारे बहुत ही माननीय श्री बिक्रम महाजन जी थे। वह मैंबर पार्लियामैंट भी रहे। He was a great man, ऐसा मैं समझती हूं। उन्हें हर बात की बहुत जानकारी रहती थी। सोचते रहते थे कि हिमाचल के लिए हमें क्या कुछ करना है। वह तीन बार मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने हर कार्य बहुत ऐनर्जी और शौक के साथ किया। आज हम सोचते हैं कि हम उनके परिवार के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। वह बहुत समझदार और सूझ-बूझ वाले व्यक्ति थे

और उन्होंने अपने समय में बहुत काम किया है। उनके परिवार के लोगों को निश्चय ही बहुत दुख हो रहा होगा। मुझे पहले पता भी नहीं चला। एक हफ्ते के भीतर ही उनका देहांत हुआ। हमें इसकी बहुत पीड़ा हुई। उनकी मृत्यु कैसे हुई; बीमार हुए या क्या हुआ, यह हमें कुछ पता नहीं चल पाया था। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूं। परिवार को उनकी मृत्यु का निश्चय ही बहुत दुख है, यह हम सभी को पता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे यही कहना है कि इस शोक की घड़ी में हम उस परिवार के दुख को कैसे दूर कर सकें, यही हमारी कोशिश होगी।

22.08.2016/1420/ SLS-DC/-2

इसी तरह से हमारे अन्य पूर्व सदस्यों के दुखदायी बिछोड़े की बात हमारे सामने है। स्वर्गीय बाबू राम मण्डयाल जी पूर्व विधायक का भी निधन हुआ है। उनका जन्म 20 जनवरी, 1938 को हमीरपुर में हुआ था। उनकी पत्नी स्वर्णकांता और दो पुत्र पीछे रह गए हैं। उन्होंने हाई स्कूल नदौन से ही मैट्रिक परीक्षा उतीर्ण की और डी.ए.वी. कॉलेज हाशियारपुर से स्नातक की परीक्षा तथा राजकीय महाविद्यालय जालन्धर से एल.एल.बी. की डिग्री प्राप्त की थी। वह 1967, 1972 और 1998 में प्रदेश विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1972 से 1977 तक प्रदेश सरकार में संसदीय सचिव भी रहे। उनकी मुख्य रुचि शिक्षा, बागवानी, अन्याय के विरुद्ध लोगों को जागरूक करना तथा दलितों की सहायता करना थी। अब 78 वर्ष की आयु में उनका देहांत 4 जुलाई, 2016 को हमीरपुर में उनके निवास स्थान पर हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि समस्त परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे।

एक हमारे और खास व्यक्ति स्वर्गीय श्री सीता राम शर्मा, पूर्व विधायक थे जिनका जन्म एक अप्रैल, 1940 को बिलासपुर में हुआ था। इनके एक बेटा और दो बेटियां हैं। इन्होंने हायर सेकैंडरी तक शिक्षा ग्रहण की थी। वह वर्ष 1960 में पन्तेहड़ा पंचायत के प्रधान व 1975 से 1983 तक राज्य सहकारी बैंक के प्रधान रहे हैं। वर्ष 1960 में बिलासपुर कांग्रेस

समिति के महा सचिव बने और 1972 में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए थे। इनकी विशेष रुचि सहकारिता, समाज कल्याण और सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा जनसेवा थी। अब 76 साल में उनका देहांत 15 जुलाई, 2016 को हुआ है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि वह समस्त परिवार को इस असहनीय दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करे।

एक अंतिम पूर्व सदस्य के देहांत पर मुझे और कहना है। अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री कुलदीप सिंह जी, पूर्व विधायक का जन्म 28 सितम्बर, 1928 को बिलासपुर में हुआ था। इनके दो बेटे और दो बेटियां हैं। इन्होंने भी स्नातक तक शिक्षा प्राप्त की।

जारी...गर्ग जी

22/08/2016/1425/RG/DC/1

सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री-----क्रमागत

वर्ष 1957 से वर्ष 1963 तक ये जिला सहकारी संघ, बिलासपुर के उप सभापति रहे व वर्ष 1958 से वर्ष 1961 तक हिमाचल प्रदेश सहकारी विकास संघ के सदस्य तथा वर्ष 1955 से वर्ष 1957 तक जिला बिलासपुर कांग्रेस समिति के सदस्य रहे। ये वर्ष 1972 में हिमाचल प्रदेश विधान सभा के लिए निर्वाचित हुए और लगातार कई सालों तक ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य भी रहे। इनका मुख्य उद्देश्य ग्रामवासियों का विकास और उनका उत्थान करने का था। 87 वर्ष की आयु में इनका 22 जुलाई, 2016 को देहान्त हो गया।

अध्यक्ष महोदय, मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि इन समस्त परिवारों के सदस्यों को इस असहनीय दुःख को सहन करने की शक्ति दे और उन्हें इस दुःख को सहने की क्षमता प्रदान करे। यही हम सभी दिवंगत आत्माओं के परिवारों के लिए दुआ मांगते है।

22/08/2016/1425/RG/DC/2

अध्यक्ष : अब श्री महेश्वर सिंह जी शोकोद्गार पर चल रही चर्चा में भाग लेंगे।

श्री महेश्वर सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि नेता, प्रतिपक्ष ने अपनी बात में कहा कि केवल चार मास की अवधि में एक नहीं बल्कि पांच-पांच महानुभाव, जिसमें से दो पूर्व सांसद थे और तीन पूर्व विधायक थे, अब हमारे बीच में नहीं रहे। निश्चित रूप से यह प्रकृति का नियम है कि जो माँ की कोख से जन्म लेता है उसे एक-न-एक दिन यह संसार छोड़ना पड़ता है और यह इस माननीय सदन की परम्परा रही है कि सत्र के प्रथम दिन हम दिवंगत नेताओं की आत्माओं की शांति के लिए यहां प्रार्थना करते हैं और उन्हें याद भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी विभूति होती हैं जो अपने पीछे एक छाप छोड़ जाती हैं और उनका नाम सदैव के लिए अमर हो जाता है।

आज मेजर जनरल बिक्रम सिंह, पूर्व सांसद जिनसे मेरा परिचय भी था और उसके अतिरिक्त श्री बिक्रम महाजन जिनकी सेवाएं हिमाचल में हमेशा याद की जाती रहेंगी और श्री बाबू राम मण्डयाल, पूर्व विधायक, श्री कुलदीप सिंह जी और श्री सीताराम, पूर्व विधायक, इस प्रकार के पांच दिवंगत नेताओं के लिए हम आज यहां श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।

जहां तक श्री बाबूराम मण्डयाल जी का संबंध है, निश्चित रूप से वे अपने विषय से बाहर नहीं बोलते थे और स्पष्टवादिता के लिए वे जाने जाते थे और वे समय का भी अनुपालन करते थे। सहकारिता क्षेत्र में उनकी विशेष रूचि थी और वे इस क्षेत्र में विभिन्न पदों पर भी रहे और कांगड़ा सेन्ट्रल कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन एवं डायरैक्टर भी वे रहे। उनकी इस क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं, तो पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान् अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें सम्मानित भी किया था। वे दो बार विधायक रहे। डा. वाई.एस. परमार की कृपा से वे मुख्य संसदीय सचिव भी बने और उनकी योग्यता एवं क्षमता को देखते हुए, यह कहा जाता है कि वे डा. वाई.एस. परमार के बहुत निकट थे। उसके पश्चात वे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर वर्ष 1998 में पुनः विधायक बने।

वर्ष 2012 से लेकर वर्ष 2015 तक हिमाचल लोकहित पार्टी में मुझे उनके साथ काम करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। जिस प्रकार से वे समय के पाबन्द थे और तत्परता से

22/08/2016/1425/RG/DC/3

बैठक में भाग लेते थे। उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। इसके अतिरिक्त वे हमें गाइड भी करते थे। कुछ समय से लेकर वे बीमार चल रहे थे। लेकिन बीमार होते हुए भी 11 मई, 2016 को बिलासपुर में हमारे साथ उनकी अन्तिम बैठक थी।

एम.एस. द्वारा जारी

22/08/2016/1430/MS/AG/1

श्री महेश्वर सिंह जारी----------

और पूरे जोर से वे अपनी बात कहते थे। कौन जानता था कि दो महीने बाद वे हमारे मध्य नहीं रहेंगे। 4 जुलाई, 2016 को हमीरपुर के अपने गांव में वे स्वर्ग सिधार गए और अपने पीछे बहुत सी यादगारें छोड़ गए हैं। मैं सभी दिवंगत आत्माओं के लिए परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वे उन्हें शांति प्रदान करें और उनके परिवारजनों को इस असहनीय दुःख और क्षति को झेलने की शक्ति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी दिवंगत आत्माओं को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा अपना आसन ग्रहण करता हूं।

22/08/2016/1430/MS/AG/2

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जो शोकोद्गार माननीय मुख्य मंत्री जी ने पांच दिवंगत नेताओं के लिए यहां प्रस्तुत किए और माननीय विपक्ष के नेता ने भी उस पर अपने विचार रखे, मैं भी उसमें अपने आप को सम्मिलित करता हूं।

अध्यक्ष जी, मैं भी इन पांचों नेताओं से व्यक्तिगत तौर पर परिचित था। वे सभी मेरे अच्छे मित्र थे। उनमें से कुछ इस विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं और दो सांसद जिनमें बिक्रम महाजन जी, जो तीन बार सांसद रहे और जैसा बताया गया कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी की केबिनैट में वे राज्य मंत्री (ऊर्जा) थे। हिमाचल प्रदेश को भी उन्होंने उस वक्त पावर

(बिजली) मंजूर करवाई थी। अभी कोई चार महीने पहले ही पार्लियामैंट के सेंट्रल हॉल में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। हम वहां काफी देर बैठकर बातचीत करते रहे और उन्होंने कहा कि हिमाचल में अभी बहुत कुछ हो सकता है। मैंने कहा कि हमारी हिमाचल सरकार इसके लिए प्रयासरत्त है। उनकी विशेष तौर पर टूरिज्म और ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा रूचि थी लेकिन दुर्भाग्य से वे आज हमारे बीच में नहीं हैं।

इसी तरह से मेजर जनरल बिक्रम सिंह जी जो वर्ष 1996 में पहली बार सांसद बने थे वे अति विशिष्ट सेवा मैडल से सुशोभित थे और एक्स-सर्विसमैन लीग के दो बार पूरे देश के अध्यक्ष भी रहे। उसके बाद मृत्यु के वक्त तक वे हिमाचल प्रदेश एक्स-सर्विसमैन कोरपोरेशन के अध्यक्ष भी रहे। वे बहुत ही मिलनसार स्वभाव के व्यक्ति थे और सामाजिक कार्यों में उनकी बहुत ज्यादा रूचि थी। भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए उनके दिल में बहुत जिज्ञासा थी और उनके लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम करने की कोशिश भी की।

इसी तरह से श्री बाबू राम मण्डयाल जिनसे पहली मेरी मुलाकात उस वक्त हुई थी जब मैं पंचायत समिति सदर, मण्डी का चैयरमैन था। यह वर्ष 1974 या 1975 की बात है। उस वक्त वे मुख्य संसदीय सचिव थे। मैं सचिवालय में उनके कमरे में उनसे मिला था। हमारी काफी देर तक वहां बातचीत होती रही और उन्होंने मुझे चाय भी पिलाई। वे बड़े स्पष्टवादी व्यक्ति थे और सीधे कह देते थे कि यह काम हो सकता है और यह नहीं हो सकता है या कह देते थे कि फलां काम को मैं डॉ0 परमार जी से करवाने की कोशिश करूंगा। इसके अतिरिक्त वे हमारे साथ विधान सभा मैं भी रहे। वे बहुत ही अच्छे वक्ता थे और हिन्दी और अंग्रेजी

22/08/2016/1430/MS/AG/3

दोनों भाषाओं में पूरी पकड़ रखते थे। इसी तरह से सहकारिता आंदोलन में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वे कांगड़ा को-ऑपरेटिव बैंक के चैयरमैन भी रहे और कई बार इसके मैम्बर भी रहे।

इसी तरह से अध्यक्ष जी, मियां कुलदीप सिंह जी के बारे में भी मैं कुछेक शब्द कहना चाहूंगा। श्री कुलदीप सिंह जी "मियां" के नाम से जाने जाते थे। मियां कुलदीप सिंह

जी जिला बिलासपुर से संबंधित थे और हिमाचल प्रदेश विधान सभा में दो बार वे विधायक रहे। वे बहुत मिलनसार व्यक्ति थे और उनकी अपनी अलग किस्म की रूचियां थीं। सहकारिता आंदोलन में भी उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया।

इसी तरह से श्री सीता राम शर्मा जी भी बहुत अच्छे मिलनसार व्यक्ति थे। मेरी उनसे कई बार मुलाकात हुई। अभी मैं पीछे घुमारवीं चुनाव क्षेत्र में गया था तो श्री राजेश धर्माणी जी के साथ मैं उनके घर में भी जाकर उनसे मिला और तब भी उनके दिल में ज़ज्बात थे कि हिमाचल प्रदेश को हम कैसे आदर्श हिमाचल प्रदेश बनाएं। वे राज्य सहकारी बैंक के भी कई साल तक चैयरमैन रहे।

जारी श्री जे0एस0 द्वारा---

22.08.2016/1435/जेके/एजी/1

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रीः------जारी---

उन पांचों महान पुरूषों के लिए हम श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं और ईश्वर से प्राथना करते हैं कि उनकी आत्मा को स्वर्ग में शांति मिले और उनके परिवारजनों को इस दुख को सहन करने की शक्ति मिले, धन्यवाद।

22.08.2016/1435/जेके/एजी/2

श्री कुलदीप कुमारः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा जो पांच दिवंगत आत्माओं का शोकोद्गार प्रस्ताव यहां पर प्रस्तुत किया है, उस प्रस्ताव में शामिल होने के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूं।

मेज़र जनरल विक्रम सिंह जी जो कि ऊना जिले के दौलतपुर से सम्बन्ध रखते थे, उनका देहान्त उनके निवास स्थान में अभी 28 जून, 2016 को हुआ। उनका जन्म 05.09.1929 को हुआ था। वे डी0ए0वी0 स्कूल, दौलतपुर के विद्यार्थी रहे हैं और गवर्नमैंट कॉलेज, होशियारपुर में उनकी शिक्षा हुई है । जून, 1952 को गोरखा रेजिमैंट में वे भर्ती हुए, उसके बाद उन्होंने देश की सेवा की। वर्ष 1996 में पहली बार वे लोकसभा के लिए चुने गए

और लोक सभा सदस्य के रूप में भी उन्होंने प्रदेश की सेवा की। वे बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे। दो बार वे ऑल इंडिया एक्स सर्विस मैन लीग के प्रैज़िडैंट रहे। जब इनका देहान्त हुआ उस वक्त भी वे हिमाचल प्रदेश एक्स सर्विस मैन कॉर्पोरेशन के चेयरमैन व एम0डी0 थे। उन्होंने हमारे जिला के नौज़वानों को सेना में भर्ती करने के लिए एक अकेडमी खोल रखी थी जहां पर वे नौज़वानों को ट्रेनिंग दिया करते थे ताकि जो हमारे बेरोजगार नौज़वान हैं वे सेना में भर्ती हो सकें। उनका यह योगदान वहां के लोग नहीं भुला पाएंगे। मैं उनके निधन पर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की शक्ति मिले।

अध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ विक्रम महाजन जी, जो कि केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री रहे हैं, उनका जन्म 1933 में हुआ था। वे तीन बार लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री होने के नाते हिमाचल प्रदेश की सेवा की और आज हमारा प्रदेश जो हाईडल प्रोजैक्ट्स में आगे बढ़ रहा है, उनका भी इसमें काफी योगदान रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी दिवंगत आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की ताकत मिले।

22.08.2016/1435/जेके/एजी/3

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री बाबू राम मंडयाल, श्री कुलदीप सिंह जी व श्री सीता राम जी ये तीनों नेता सहकारिता आंदोलन से जुड़े रहे। इस नाते मेरा भी उनसे सम्बन्ध रहा है।

बाबू राम मंडयाल जी इस माननीय सदन के तीन बार सदस्य रहे हैं। वर्ष 1938 में उनका जन्म हुआ। वे लॉ ग्रेजुएट थे और जालंधर में उनकी शिक्षा हुई। गवर्नमैंट स्कूल, नादौन के भी वे विद्यार्थी रहे हैं। वर्ष 1972 से लेकर 1977 तक चीफ पार्लियामेंटरी सैक्रेटरी भी रहे हैं। वर्ष 1967 में वे राज्य सहकारी सलाहकार समिति के सभारपति रहे। कांगड़ा

सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रहे और कई बार डायरैक्टर भी रहे हैं। सहकारिता आंदोलन से उनका बहुत ही गहरा सम्बन्ध रहा है। उन्होंने सहकारिता आंदोलन में काफी योगदान दिया है। दिनांक 4 जुलाई, 2016 को उनका निधन हुआ।

श्री एस0एस0 द्वारा जारी------

22.08.2016/1440/SS-AS/1

श्री कुलदीप कुमार क्रमागतः

मैं भगवान् से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे।

श्री सीता राम जी का 1940 में जन्म हुआ। वे पंचायती राज से प्रधान भी रहे। उनका सहकारिता आंदोलन से काफी लगाव रहा। 9 साल तक वे स्टेट कॉपरेटिव बैंक के प्रधान रहे थे। सहकारिता आंदोलन से जुड़े होने के नाते मेरा भी उनसे संबंध रहा है। 1972 में वे इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं। मैं भगवान् से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे।

श्री कुलदीप सिंह जी, जिनका अभी हाल में निधन हुआ, ये भी सहकारिता आंदोलन से काफी जुड़े रहे। 1928 में इनका जन्म हुआ। 1972 में वे कोट-कैहलूर विधान सभा क्षेत्र से इस माननीय सदन के सदस्य रहे। मैं भगवान् से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार को इस क्षति को सहन करने की ईश्वर शक्ति प्रदान करे।

धन्यवाद।

22.08.2016/1440/SS-AS/2

श्री रणधीर शर्माः अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले चार और साढ़े चार महीने में पांच जन-प्रतिनिधियों का दुखद निधन हुआ है। उनके इस निधन पर माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने शोक प्रस्ताव रखा है, उसी पर अपने शोकोद्गार रखने के लिए आपने मुझे समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। इनमें पूर्व मंत्री बिक्रम महाजन जी; पूर्व सांसद,

मेज़र जनरल बिक्रम सिंह जी, इन दोनों के नाम और योगदान को हिमाचल प्रदेश के विकास में हमने सुना है परन्तु इनसे मेरा कोई व्यक्तिगत परिचय नहीं रहा। परन्तु इसके अलावा श्री बाबू राम मंडयाल जी, मियां कुलदीप सिंह चंदेल जी और पंडित सीता राम जी से मेरा व्यक्तिगत परिचय रहा है। मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। तीनों का ही राजनीतिक जीवन प्रेरणादायी रहा है।

जहां तक बाबू राम मंडयाल जी की बात है मुझे याद है कि मैं अभी स्कूल में पढ़ता था तो उस समय वे मुख्य संसदीय सचिव थे। हमारे स्कूल में वे एक बार प्राइज़ डिस्ट्रिब्यूशन फंक्शन में आए थे, मुझे इनसे ईनाम लेने का मौका भी मिला था। उसके बाद जब मैं भी राजनीति में आया तो वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। अनेक बार उनसे मिलना हुआ। वे बहुत ही इंटैलीजैंट और अच्छे ऑरेटर थे। तथ्यों के साथ अपनी बात रखते थे। यह सब सीखने का मौका हमें उनसे मिला है। सहकारिता आंदोलन में उनका योगदान बहुत ही सराहनीय रहा है। कांगड़ा कॉपरेटिव बैंक के वे चेयरमैन रहे हैं और पूरे प्रदेश को उन्होंने सहकारिता की दृष्टि से एक दिशा दी है। जहां तक मियां कुलदीप सिंह चंदेल जी की बात है ये मेरे ही विधान सभा क्षेत्र से जो पहले कोट-कैहलूर के नाम से जाना जाता था, वहां से 1972 से 1977 के बीच विधायक रहे। उस दौरान हम स्कूल में पढ़ते थे, कई बार इनका उस क्षेत्र में आना होता था। जो विधायक की कल्पना है बचपन में उन्हीं को देखकर बनी थी। हालांकि वे राज परिवार से थे और अकेले बेटे थे परन्तु उसके बावजूद भी उनका जीवन जितना सादा था वह सचमुच एक प्रेरणादायी था। सारा जीवन उन्होंने खादी ही पहनी और हमेशा बिलासपुरी में ही बात की। पहाड़ी भाषा में ही बात की। मुझे राजनीति में आने के बाद उनसे कई बार मिलने का मौका मिला। उनके बेटों का पैट्रोल पम्प नौणी के पास है। अभी 22 जुलाई को उनका निधन हुआ। उससे चार-पांच महीने पहले तक वे हर रोज़ पैट्रोल पम्प पर भी आते थे, वहां उनसे मुलाकात होती थी। बड़ी हैरानी होती थी कि वे हमें जहां अपने समय के बुजुर्गों के बारे में पूछते थे,

जारी श्रीमती के0एस0

22.08.2016/1445/केएस/एएस/1

श्री रणधीर शर्मा जारी-----

अपने क्षेत्र की बातें पूछते थे। हालांकि वे कांग्रेस पार्टी से सम्बन्ध रखते थे और मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक था फिर भी उस क्षेत्र का विकास कैसे हो, उस क्षेत्र के विकास के लिए क्या-क्या किया जा सकता है, उसके लिए वे निरन्तर सुझाव देते रहते थे और आगे बढ़ने का आशीर्वाद देते थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रेरणादायी रहा है और उनका सहकारिता आन्दोलन में भी बहुत बड़ा योगदान रहा। विधायक रहते हुए भी और उसके बाद भी कृषि और बागवानी में कैसे उनका क्षेत्र आगे बढ़े, इसकी उन्होंने निरन्तर चिन्ता की और उसमें उनका काफी बड़ा योगदान रहा है।

अध्यक्ष महोदय, पंडित सीता राम जी को भी हमने विधायक के नाते भी देखा है और सहकारिता आन्दोलन में भी जिस तरह से उनका योगदान रहा, चाहे वह सहकारी बैंक के नाते हो या अन्य सहकारी संस्थाओं में किसी पद पर रहने के कारण उनका योगदान हो, हमेशा बिलासपुर जिला को सहकारिता की दृष्टि से आगे बढ़ाने में उन्होंने अपना योगदान दिया है। मैं ज्यादा समय न लेता हुआ अपनी ओर से इन सभी जन-प्रतिनिधियों को, दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और परम पूज्यनीय परमात्मा से यही कामना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले और उनके परिवार के सदस्यों को उनके निधन से हुए दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद।

22.08.2016/1445/केएस/एएस/2

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले **मंत्रीः** अध्यक्ष महोदय, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी ने अभी जो हमारे पांच साथी इन चार महीने की अवधि में हमें छोड़ कर चले गए, उसके लिए जो प्रस्ताव लाए, उस पर बोलने के लिए मैं भी खड़ा हुआ हूं।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेजर जनरल विक्रम सिंह जी का सवाल है, मुझे कई बार उनसे बातचीत करने का और पार्टी में साथ काम करने का मौका मिला। वे बहुत ही मधुरभाषी और बहुत ही अच्छे इन्सान थे। जब उनका देहान्त हुआ तो एक्स सर्विसमैन

कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष व मैनेजिंग डायरैक्टर थे। जब कभी भी गाहे-बगाहे उन्हें हम लोग फोन करते थे, बहुत अच्छी तरह से अटैंड करते थे, बहुत अच्छी तरह से बातचीत करते थे। अपनी यादें इलाकावासियों के लिए, प्रदेशवासियों के लिए छोड़कर गए हैं।

विक्रम महाजन जी कई बार लोकसभा के सदस्य रहे और कांगड़ा जिला से सम्बन्धित थे। वे एक बड़े परिवार में माननीय मेहर चन्द महाजन जी के सुपुत्र थे। जैसे अभी ठाकुर कौल सिंह जी कह रहे थे, वे दिल्ली में कई बार मिलते थे और अपने विचार, अपने आइडियाज़ विभिन्न चीजों के बारे में देते रहते थे। जब वे एनर्जी मिनिस्टर थे, समय-समय पर मुझे भी उनसे मिलने का कई बार मौका मिला। वे बहुत ही साधारण स्वभाव के, अति मधुर भाषी थे और कांगड़ा के लिए खासतौर पर उन्होंने कई अच्छे कार्य किए।

अध्यक्ष महोदय, मुझे बाबू राम मंडियाल जी के साथ 1998 में काम करने का मौका मिला और यहां पर हम लोग विधान सभा में इकट्ठे थे। उनका कोई भी भाषण शेरो-शायरी के बिना खत्म नहीं होता था। वे खूब शेरो-शायरी करते थे। अपने विचार से दृढ़, अपनी बात पूरी कहना उनके स्वभाव का एक हिस्सा था।

अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से सीता राम शर्मा जी, जब मैं घुमारवीं गया था तो उनके सुपुत्र, बहू व अन्य परिवारजन मुझे मिले थे और उनका सन्देश भी ले कर आए। अभी तक भी वे राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय थे।

22.08.2016/1445/केएस/एएस/3

कुलदीप सिंह जी को मैं पर्सनली तो नहीं जानता मगर जैसा कि अभी रणधीर जी कह रहे थे, वे बहुत ही सीधे स्वभाव के थे और अपनी छाप हम पर छोड़ कर गए हैं।

अध्यक्ष महोदय, इन सभी जन-प्रतिनिधियों ने समय-समय पर प्रदेश और देश की सेवा के लिए काम किया है, मैं भी अपनी तरफ से इनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इनके परिवार को इस क्षति को सहने की प्रार्थना करता हूं ।

अगले वक्ता अ0व0 की बारी में---

22.8.2016/1450/AV-DC/1

श्री राजेश धर्माणी (मुख्य संसदीय सचिव): अध्यक्ष महोदय, इस मान्य सदन के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी ने पांच दिवंगत जन प्रतिनिधियों के शोकोद्गार प्रस्तुत किए हैं। मेरे से पहले जिन वक्ताओं ने उनके योगदान के बारे में उनकी प्रशंसा एवं चर्चा की उसमें मैं भी अपने आपको शामिल करता हूं और कुछ बातें मैं अपनी तरफ से भी कहूंगा।

यहां पर दो पूर्व सांसद जिनमें से एक हमीरपुर से मेज़र जनरल बिक्रम सिंह जी और कांगड़ा से श्री बिक्रम महाजन जी तथा तीन विधान सभा के पूर्व सदस्य जिनमें से दो का सम्बंध जिला बिलासपुर से था व एक का हमीरपुर से था। इन सभी ने अपने-अपने समय में अपने-अपने क्षेत्र में विशेष योगदान दिया है। मेज़र जनरल बिक्रम सिंह जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय हमने उनके साथ कई मीटिंग्ज अटैंड / ऑर्गेनाईज की थी। वे बड़े सरल स्वभाव के थे। उनसे जब लोग बातचीत करते थे तो लोगों को लगता नहीं था कि वे इतने ऊंचे पद से सेवानिवृत हुए हैं और वे सहजता / सरलता से लोगों के साथ मिलते थे। इसी वजह से लोगों ने उनको बहुत पसन्द किया तथा वे चुनाव जीते। उसके बाद अभी जब उनका निधन हुआ तो जैसा बताया गया कि वे हिमाचल प्रदेश ऐक्स सर्विस मैन कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक भी थे और उन्होंने अंतिम समय तक प्रदेश व समाज के प्रति अपने कर्त्तव्य को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद श्री बिक्रम महाजन जी के बारे में हमने सिर्फ सुना है और उनसे मिलना कभी नहीं हुआ। वे बहुत अच्छे जन प्रतिनिधि रहे हैं और हिमाचल प्रदेश के लिए उनका विशेष योगदान रहा है। हम उनको भी अपने श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हैं।

स्वर्गीय सर्वश्री बाबूराम मण्डयाल जी, कुलदीप कुमार जी और सीता राम जी; ये तीनों ही सहकारिता क्षेत्र से जुड़े रहे हैं और इस क्षेत्र में इन्होंने अपना विशेष योगदान दिया

है। बाबूराम मण्डयाल जी से बहुत ज्यादा मिलना नहीं हुआ। उनसे मैं दो-तीन बार मिला हूं मगर उनके बेटे के माध्यम से मेरा उनसे काफी अच्छा परिचय रहा है। कई बार उनके स्वाभाव के बारे में उनसे बातचीत होती थी। वे भी अन्तिम समय तक समाज सेवा में अपना योगदान देते रहे।

22.8.2016/1450/AV-DC/2

स्वर्गीय श्री कुलदीप सिंह जी जिला बिलासपुर के रहने वाले थे। उनका सम्बंध देखें तो वह जिला बिलासपुर के तीन विधान सभा क्षेत्रों से था। उनका पैतृक स्थान कोटधार क्षेत्र में भड़ोलियां में था। वर्तमान में उनका घर बिलासपुर विधान सभा सदर में है और कोटकहलूर जो कि वर्तमान में श्री नैना देवी विधान सभा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है वे वहां से विधान सभा के सदस्य चुने गए। वे बेशक बाद में राजनीति में सक्रिय नहीं रहे मगर जब भी चर्चा होती थी तो लगता नहीं था कि वे वर्तमान राजनीति से अनभिज्ञ थे। उनका एक बेटा तो प्रदेश एन0एस0यू0आई0 का प्रदेश अध्यक्ष भी रहा है और वह वकील है तथा दूसरा बेटा पैट्रोल पम्प चलाता है, जैसे रणधीर जी ने कहा।

तीसरे पूर्व सदस्य घुमारवीं विधान सभा क्षेत्र से विधान सभा के सदस्य रहे हैं। उन्होंने केवल 18 साल की आयु में ही कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। उसके बाद वे जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव रहे तथा बाद में जिला कांग्रेस कमेटी के लगभग 25 वर्ष तक अध्यक्ष भी रहे।

श्री वर्मा द्वारा जारी

22/08/2016/1455/TCV/DC/1

मुख्य संसदीय सचिव (श्री राजेश धर्माणी) जारी ---
इसके अतिरिक्त वे न्याय पंचायत पन्तहेड़ा के सरपंच चुने गये थे। बाद में ग्राम पंचायत महाराणा के प्रधान चुने गये और वहां से आगे बढ़ते हुए वे इस माननीय

सदन के सदस्य चुने गये। सहकारिता के क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी। वह अपने पैतृक गांव कुठेड़ा कॉपरेटिव सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे और वहां से उन्होंने आगे का सफ़र शुरू किया। वे हिमफैड के चेयरमैन भी थे। वे राज्य सहकारी बैंक के भी दो बार अध्यक्ष रहे। नैफ़ेड के वह वाईस-चेयरमैन रहे और इसके अतिरिक्त वे ईफ़को और कृफ़को के साथ भी उनका संबंध रहा तथा उसमें भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश /देश के अंदर सहकारिता क्षेत्र में कैसे सुधार लाया जाये, इसके लिए स्टडी करने के लिए वे कई बार देश से बाहर भी गये। विदेशों में जो बातें उन्हें अच्छी लगी उनको यहां पर लागू करने के लिए भी उन्होंने अपना योगदान दिया। मेरे विधान सभा क्षेत्र से वह विधान सभा सदस्य रहे है। वह लगभग 25 वर्ष तक गम्भीर बीमारी से पीड़ित रहे और धीरे-धीरे उनके अंग काम करना बन्द कर रहे थे। लेकिन अंतिम समय तक वह राजनैतिक तौर पर काफी एक्टिव रहे। उनकी एक अच्छी आदत थी कि वे डेली अपनी डायरी लिखते थे और जो भी पूरे दिन घटित होता था उसको वह शाम को अपनी डायरी में लिखते थे। जब उनके हाथ काम करना बन्द कर गये, उसके बाद वह दूसरों को बोलकर लिखवाते थे। जब मैं प्रथम बार चुनाव लड़ रहा था और माननीय मुख्य मंत्री जी का मेरे विधान सभा क्षेत्र में कार्यक्रम था, हालांकि माननीय मुख्य मंत्री जी काफी देर से पहुंचे थे, सर्दियों का समय था लेकिन उन्होंने कहा कि

22/08/2016/1455/TCV/DC/2

मुझे भी उस जनसभा में जाना है और उनको वहां पर उठाकर लाये तथा उन्होंने अपने विचार वहां पर रखे। उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहा है और उन्होंने हमें जो रास्ता दिखाया है, हमने उससे बहुत कुछ सीखा है। वह हमेशा अपने क्षेत्र व लोगों के लिए चिन्तित रहते थे। वे विकास

कार्य करने के लिए गाईड करते थे और हम उनसे प्रेरणा लेकर कार्य करने की कोशिश करते थे।

स्वर्गीय श्री सीता राम जी का एक बेटा है जो पंचायत समिति के अध्यक्ष भी है और दो बेटियां हैं। उनका वैल-सैटल्ड परिवार है और सभी अपनी-अपनी जगह पर अच्छे काम कर रहे हैं। श्री सीता राम शर्मा जी जब काफी बीमार हो गये, तो उनको आई0जी0एम0सी0 में दाखिल कर दिया गया। जब वह आई0सी0यू0 में एडमिट थे, तो उनके सामने वाले बैड पर श्री नारायण सिंह स्वामी जी जिनके साथ उन्होंने चुनाव लड़े थे, वे भी एडमिट थे। ये नेचर का नियम है कि आदमी बिछड़ता है, फिर इक्ट्ठा/मिलन हो जाता है और अंत में वह हम सब को सदा-सदा के लिए छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह से इन दिवंगत आत्मा ने अपने जीवन काल में अच्छे काम किए हैं और इन्होंने जो अच्छा रास्ता हमें दिखाया है। हम सबको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्होंने जो मार्ग दिखाया है, उस पर चलते हुए, समाज सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। धन्यवाद।

22/08/2016/1455/TCV/DC/3

श्री राकेश कालियाः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी जिन पांच नेताओं जिनका बज़ट सैशन और इस सैशन के बीच में देहांत हुआ है, के प्रति शोकोद्गार प्रस्ताव इस माननीय सदन में लाये हैं, मैं भी उसमें अपने को शामिल करता हूं।

जहां तक मेज़र जनरल बिक्रम सिंह जी की बात है वह मेरे विधान सभा क्षेत्र गगरेट के रहने वाले थे और

श्रीमती नीना सूद द्वारा जारी ----

22/08/2016/1500/NS/AG/1

श्री राकेश कालिया... जारी...

वे एक बार हमीरपुर पार्लियामेंटरी हल्के से सांसद चुने गए। उन्होंने अपनी दसवीं तक की पढ़ाई लोकल डी.ए.वी. स्कूल से की। उसके बाद वे होशियारपुर में पढ़े। उसके उपरान्त वे सेना में भर्ती हो गए और सेना में उन्होंने अपनी सेवाएं दीं। वे रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आए। वे पहली बार वर्ष 1996 में कांग्रेस के टिकट पर सांसद बने। जब उनका देहांत हुआ तो वे एक्स-सर्विसमैन सेल के चेयरमैन थे। कुछ दिन पहले ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वे एक स्कूल के सिलसिले में मुख्य मंत्री महोदय से मिलने के लिए यहां विधान सभा में आए थे। तब उनके साथ मेरी थोड़ी देर बातचीत हुई। वे बहुत अच्छे व्यक्ति थे। वे हमेशा यह बात करते रहते थे कि हिमाचल प्रदेश और गगरेट क्षेत्र को किस तरह से विकसित किया जाए। उन्होंने ज़िला ऊना के अंदर प्रदेश और ज़िले के नौज़वानों को सेना में भर्ती करवाने के लिए एक गाइडैंस अकैडमी भी खोली थी। इस अकैडमी से काफी नौज़वान सेना और पुलिस में भर्ती हुए।

श्री बिक्रम महाजन जी, जो हमारे तीन बार सांसद रहे हैं, उनकी भी इसी दौरान मृत्यु हुई है।

इसी तरह श्री बाबू राम मण्डयाल जी, जो पूर्व विधायक रहे हैं, उनसे मेरा कोई सीधा सम्पर्क तो नहीं रहा लेकिन जैसा कि हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं कि उनका कॉपरेटिव मूवमैंट में बहुत योगदान रहा है। श्री सीता राम शर्मा जी भी विधायक रहे हैं। मियां जी भी बहुत सामाजिक व्यक्ति थे। वे गरीब लोगों की हमेशा सहायता करने को तैयार रहते थे। ये महान विभूतियां अब हमारे बीच में नहीं रहीं। मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन दिवंगत आत्माओं को शान्ति दे और इनके परिवारों को इस दुःख को सहने की शक्ति प्रदान करे।

22/08/2016/1500/NS/AG/2

श्री रिखी राम कौंडलः अध्यक्ष महोदय, मान्य सदन के नेता ने पांच महानुभावों जिसमें दो पूर्व सांसद और तीन पूर्व विधायक जिनके निधन पर शोकोद्गार इस मान्य सदन के अंदर प्रस्तुत किया। इसमें हमारे विपक्ष के नेता ने इस छोटे से कार्यकाल के अंदर जो पांच व्यक्ति हमसे बिछड़े हैं और प्रदेश में जो इन्होंने सेवाएं दीं और प्रदेश को इनके जाने से जो क्षति हुई है, वह पूरी नहीं की जा सकती।

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक श्री बिक्रम महाजन जी का संबंध है, वे कांगड़ा ज़िले से सांसद रहे, केंद्र में राज्य मंत्री रहे। इसके साथ-साथ वे हमारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे हैं। उन्होंने अपने समय के अंदर जो काम किए हैं उनको आज भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र याद रखता है।

श्री बाबू राम मण्डयाल जी का सहकारिता में बहुत बड़ा योगदान रहा है। मुझे याद है जब मुझे माननीय धूमल जी के मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बनने का मौका मिला तो सहकारिता के क्षेत्र में मेरा इतना अनुभव नहीं था। मैं बार-बार उनको बुला करके उनसे प्रेरणा लेता था। वे इतनी दक्षता से सहकारिता को समझते थे कि आज उनकी प्रेरणा से सहकारिता आंदोलन प्रदेश में आगे बढ़ा है। उनके साथ ओर भी अन्य सहयोगी थे जो उनका साथ देते थे। वे कांगड़ा सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक के चेयरमैन भी रहे। उनके कार्यकाल के समय ही कांगड़ा सैन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक में 250-300 के करीब पदों की भर्तियां हुई थीं। यह हमेशा स्मरणीय रहेगा कि किसके कार्यकाल के अंदर कितने लोगों को रोज़गार मिला।

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक श्री कुलदीप सिंह जी, जो कोट कहलूर के पूर्व विधायक रहे हैं, उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला। उनका जन्म स्थान मेरे ही चुनाव क्षेत्र में है। भड़ोलीकलां नामक स्थान में उनकी काफी सम्पति है। वहां उनका जन्म हुआ। उनके पिता श्री मान सिंह जी, जब राजा आनन्द चन्द जी लाहौर

22/08/2016/1500/NS/AG/3

शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए तो सारे बिलासपुर का राजपाट उन्होंने देखा। उनका योगदान बिलासपुर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वे बहुत मीठे स्वभाव के व्यक्ति थे। मुझे

राजनीतिक क्षेत्र में लाने के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और जो प्रेरणा उन्होंने हमें राजनीतिक क्षेत्र की दी है, आज उस प्रेरणा के माध्यम से हम आगे बढ़ रहे हैं। वे मेरे चुनाव क्षेत्र झण्डुता ब्लॉक के चेयरमैन भी रहे हैं।

श्री आर0 के0 एस0 द्वारा जारी।

22/08/2016/1505/RKS/AG/1

श्री रिखी राम कौंडल जारी...

अनेकों क्षेत्रों में विशेषकर सहकारिता क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है।

माननीय सीता राम शर्मा जी, जिला बिलासपुर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं और संसदीय सचिव भी रहें हैं। उनके काम की सराहना श्री राजेश धर्माणी जी ने भी की है। वे बहुत ही मृदुल स्वभाव के व्यक्ति थे। उनका योगदान हमारे प्रति भी बहुत बड़ा रहा है। हिमाचल प्रदेश में जब पहली बार सरकार बनी तो उस समय माननीय विचित्र सिंह जी मंत्री बने, जिन्होंने मेरे ऊपर झूठा अफीम का केस बनवाया था। श्री सीता राम जी ने रातों-रात इसके लिए जो प्रयत्न किए वे हमेशा के लिए मेरे राजनीतिक जीवन में मुझे याद रहेंगे। बिलासपुर की राजनीति के लिए भी उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये जो 5 माननीय सदस्य इस कार्यकाल के भीतर हमसे बिछुड़ गए हैं, उनकी दिवंगत आत्माओं की शांति और उनके परिवार को इस गहन सदमे को सहन करने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं।

22/08/2016/1505/RKS/AG/2

श्री अजय महाजनः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो 5 जनप्रतिनिधियों का शोक प्रस्ताव पेश किया, मैं भी उसमें शामिल होता हूं। श्री बिक्रम महाजन जी मेरे निर्वाचन क्षेत्र से संबंध रखते थे और हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं। उनका सांसारिक सफर 27 मार्च, 1933 में शुरू हुआ और 12 अगस्त, 2016 को समाप्त हुआ। वे एक बहुत बड़े परिवार में पैदा हुए। वे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश श्री मेहर चन्द महाजन जी के सुपुत्र थे। उनकी शिक्षा लाहौर और उसके बाद St. Stephen कॉलेज से पूरी हुई। वे सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग लॉयर और सीनियर एडवोकेट थे। वे तीन बार पार्लियामेंट के सदस्य रह चुके हैं। वे स्टेट मिनिस्टर ऑफ एनर्जी भी रहे। जब वे स्टेट मिनिस्टर ऑफ एनर्जी थे, देश के लिए तो उन्होंने पावर सैक्टर में बहुत कुछ किया परन्तु हिमाचल में भी चमेरा प्रोजैक्ट उन्हीं की देन है। इस प्रोजैक्ट से हजारों लोगों को रोजगार मिला है। यह उनकी सबसे बड़ी देन थी। जब वे सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट थे तो 'पौंग डैम ओस्टीस' के जितने भी केस थे, इन्होंने हमेशा मुफ्त लड़े। ये सरल स्वभाव के साधारण व्यक्ति थे। इन्होंने कई विधवाओं को पैंशन लगवाई। वे गरीब लोगों को सिलाई मशीनें इत्यादि बांटते थे और उनकी शादियों में बहुत मदद करते थे। साथ में वे यह भी कहते थे कि जो मैंने किया है उसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वे इस प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बाकि जो 4 जनप्रतिनिधि हैं, जिनका यहां पर उल्लेख हुआ है, उनके बारे में सभी ने बहुत अच्छा बोला। मैं उन प्रतिनिधियों को पर्सनली नहीं जानता था।

मेजन जनरल बिक्रम सिंह जी से मुझे कई बार मिलने का सौभाग्य मिला। जैसा मेरे साथियों ने कहा कि वे बहुत ही अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके स्वभाव को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वे इतने ऊंचे पद से रिटायर हुए हैं। वे सभी एक्स-सर्विसमैन के

लिए प्रेरणा स्त्रोत थे। जितनी भी दिवंगत आत्माएं हैं ईश्वर उन्हें शांति प्रदान करें तथा उनके परिवार को इस शोक को सहन करने की शक्ति दें।

अगला वक्ता श्री एस0 एल0 एस0 द्वारा जारी...

22.08.2016/1510/ SLS-AS/-1

श्री विजय अग्निहोत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जिन 5 पूर्व जन-प्रतिनिधियों मेजर जनरल ब्रिक्रम सिंह, पूर्व सांसद बिक्रम महाजन जी, पूर्व विधायक बाबू राम मण्डयाल जी, श्री कुलदीप सिंह जी और श्री सीता राम जी के निधन पर शोकोद्गार प्रस्तुत किए हैं, मैं भी उन शोकोद्गारों में अपने आपको शामिल करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जो 4 जन-प्रतिनिधि थे, उन्होंने अपने-अपने समय में अपने क्षेत्र में और प्रदेश के लिए बहुत सराहनीय काम किए हैं, लेकिन बाबू राम मण्डयाल जी मेरे विधान सभा क्षेत्र से संबंध रखते हैं। नदौन विधान सभा क्षेत्र का उन्होंने 3 बार प्रतिनिधित्व किया है। बाबू राम मण्डयाल जी का जन्म, जैसे बताया गया, 20 जनवरी, 1938 को नदौन के पास हरमन्दर में हुआ। उनकी मिडल की पढ़ाई वहीं स्थानीय स्कूल में हुई। उसके बाद वह पढ़ने के लिए जयसिंहपुर गए। उन्होंने डी.ए.वी. कॉलेज होशियारपुर से ग्रेजुएशन की। जालन्धर से उन्होंने लॉ का फर्स्ट ईयर किया और पढ़ाई के दो साल उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चण्डीगढ़ में लगाए। उसके बाद उन्होंने चण्डीगढ़ में प्रैक्टिस शुरू की। बीच में ही उनका मन सहकारिता और अन्य समाज सेवा में लगा। इस बीच वह मुम्बई भी गए। वहां पर वह हिमाचल मित्र मंडल के सचिव रहे। हिमाचल मित्र मंडल, मुम्बई को स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। वर्ष 1967 में उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नदौन से चुनाव लड़ा और जीते। उसके पश्चात वह कांग्रेस में गए। वर्ष 1972 में वह दोबारा जीते और डॉ. वाई.एस. परमार मंत्रिमंडल में सी.पी.एस. रहे। उसके पश्चात वह जनता दल में भी रहे और फिर वर्ष 1998 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर दोबारा से

विधायक बने। क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने हमेशा प्रयास किया। नदौन विधान सभा क्षेत्र में आज भी बहुत से कार्य उनकी याद से जुड़े हैं। नदौन विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई की जो पुरानी स्कीमें हैं, वह सब उनकी सोच का परिणाम है। वहां कठिन क्षेत्रों में जितनी भी सड़कें बनी हैं, वह उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। वह हमेशा विकास की बात करते थे और उसके लिए संघर्ष करते थे। उन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया। वह हमेशा लोगों के बीच में रहे और जन-समस्याओं को उठाते हुए

22.08.2016/1510/ SLS-AS/-2

उन्होंने लोगों की समस्याओं को हल करने का प्रयास किया। इसमें वह बहुत हद तक सफल भी हुए। अब भी जब वह बीमार पड़े, उससे एक महीना पहले तक भी वह सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लोगों के बीच रहते थे। सुबह तैयार होकर निकलते थे और फिर कभी कहीं और कभी कहीं किसी के पास बैठकर लोगों की समस्याएं सुनते थे और सारे कार्यक्रमों में शामिल होते थे। वह एक न थकने वाले व्यक्ति थे और बहुत मेहनती थे। उनसे मुझे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला; पिछले चुनावों में हालांकि हम दोनों आमने-सामने थे। वर्ष 1967 में जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा तब मेरा जन्म हुआ था। वर्ष 2012 में भी वह चुनाव को उसी ऊर्जा के साथ लड़ रहे थे। वह इतने अधिक संघर्षशील और मेहनती व्यक्ति थे। सहकारिता क्षेत्र में उनका कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने कांगड़ा कौपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहते हुए बहुत उत्कृष्ट कार्य किए। बहुत वर्षों तक वह कांगड़ा कौपरेटिव बैंक में डायरैक्टर भी रहे। जैसे महेश्वर सिंह जी ने बताया कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेई जी ने उन्हें उस समय बैंक में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए कांगड़ा कौपरेटिव बैंक को 5 लाख रुपया ईनाम में दिया था और सम्मानित भी किया था।

अध्यक्ष महोदय, जिन भी पूर्व सदस्यों के लिए यहां शोकोद्गार प्रस्तुत हुए हैं, मैं भगवान् से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी दिवंगत आत्माओं को शांति मिले और उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की भगवान् शक्ति प्रदान करे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आपको इस शोक प्रस्ताव में सम्मिलित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय ..श्री गर्ग जी के पास

22/08/2016/1515/RG/AS/1

अध्यक्ष : स्वर्गीय मेजर जनरल बिक्रम सिंह, श्री बिक्रम महाजन, पूर्व सांसद व सर्वश्री बाबू राम मण्डयाल, कुलदीप सिंह एवं श्री सीताराम,पूर्व सदस्य, विधान सभा के निधन पर जो उल्लेख सदन में प्रस्तुत किए गए हैं। उनमें मैं भी अपने को शामिल करता हूं तथा शोक-सन्तप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूं।

इस माननीय सदन की भावनाओं को शोक सन्तप्त परिवारों तक पहुंचा दिया जाएगा।

अब मैं सभी से निवेदन करुंगा कि दिवंगत आत्माओं को श्रद्धा-सुमन अर्पित करने के लिए अपने-अपने स्थान पर कुछ क्षण के लिए मौन खड़े हो जाएं।

(सदन में सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कुछ क्षण के लिए मौन खड़े हुए।)

22/08/2016/1515/RG/AS/2

अध्यक्ष : अब सदन के नेता द्वारा वक्तव्य होंगे।

<u>व्यवस्था का प्रश्न</u>

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस सदन में उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष : आपका क्या विषय है?

श्री सुरेश भारद्वाज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाना चाहता हूं जिसका संबंध चुने हुए प्रतिनिधियों के मान-सम्मान से है। 4 अगस्त का दिन हिमाचल प्रदेश के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है और उस दिन स्वर्गीय डॉ. वाई.एस. परमार जी का जन्म दिन होता है। उस दिन प्रदेश के मुख्य मंत्री, ये तो छः बार मुख्य मंत्री रह चुके हैं, समाचार-पत्रों और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया को बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक-दो सदस्यों को छोड़कर बाकी सदन में आने लायक नहीं हैं और साथ ही कहते हैं कि म्युनिसपल कमेटी में गन्दगी उठाने के लिए नौकरी की दरख्वास्त दें -भाजपा नेता। मतलब एक तो ये चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने कहा है मैं इसका पुरजोर खण्डन करता हूं। मैंने किसी प्रैस या मीडिया को ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। This is a planted story in one newspaper.

श्री सुरेश भारद्वाज : यह जनता के मेनडेट का अपमान है और साथ-ही-साथ ये जो सफाई करने वाले कर्मचारी हैं, दलित कर्मचारी हैं, यह दलितों का भी अपमान है। ये हमें उनके साथ कम्पेयर करते हैं और उनको हीन दिखाना चाहते हैं। ये दलितविरोधी हैं और साथ-ही-साथ ये डेमोक्रेसी के भी ऐन्टी हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए पूरे विधायक दल ने आपको विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव दिया है। हम इस ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि हमारे जो सारे सदस्यों का प्रिवीलेज है, जिनको जनता ने चुनकर यहां भेजा है और आपने संविधान के

अन्तर्गत उनको यहां पर शपथ दिलवाई गई है। उनको ये इस सदन में आने योग्य नहीं मानते हैं। तो इस सदन में हमारा क्या काम है? हमको गन्दगी उठाने के लिए भेजा है। यह ठीक बात है क्योंकि हमको कहा गया है कि हमें इस देश को कांग्रेसमुक्त करना है और काग्रेसरूपी गन्दगी को दूर करना है। इसके लिए हमें यहां भेजा गया है। इन्होंने यह कहा है। इस पर हमारे प्रिवीलेज मोशन का क्या हुआ? हम आपसे यहां पर यही जानना चाहते हैं

क्योंकि हम सफाइयां नहीं चाहते? हर बार सफाई दी जाती है। बल्कि एक अखबार ने तो यह लिखा है।

अध्यक्ष : आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मेरा आपसे आग्रह है कि आपने जो नोटिस दिया है उसका आप जवाब तो सुन लीजिए। उसके लिए वेट तो कीजिए या you don't want to wait for that. Let me reply your notice ---(**व्यवधान**)---

डॉ. राजीव बिन्दल : अध्यक्ष महोदय, ये कहते हैं कि हम सब विधान सभा के काबिल नहीं हैं।

अध्यक्ष : मैं समझता हूं---(व्यवधान)---just a minute.

एम.एस. द्वारा जारी

22/08/2016/1520/MS/DC/1

अध्यक्ष जारी----------

-(व्यवधान)- जो नोटिस आपने दिया है उसके उत्तर के लिए आप इंतजार तो कीजिए। You will not wait for that -(interruption)-. Let me reply on the notice -(interruption)-.

डॉ0 राजीव बिन्दलः अखबार में लिखा है कि भाजपा के नेता विधान सभा के काबिल नहीं हैं। -(व्यवधान)-

अध्यक्षः मैं समझता हूं कि जब आपने नोटिस दिया हुआ है तो इस बात को सदन में उठाने का कोई औचित्य नहीं है। जो आपने नोटिस दिया है उसका जवाब तो सुन लीजिए। -(व्यवधान)- कृपया आप सभी बैठ जाइए। -(व्यवधान)- एक मिनट सुन लीजिए। आपने नोटिस दे दिया है तो अब आप क्या मुद्दा उठा रहे हैं? क्या आप लोगों ने नोटिस नहीं दिया है? -(व्यवधान)- Please sit down.

श्री सुरेश भारद्वाजः यह प्रदेश की 70 लाख जनता का अपमान है।

अध्यक्षः भारद्वाज जी, आपने नोटिस दिया हुआ है इसलिए इस बात का कोई औचित्य नहीं बनता कि आप इस बात को यहां पर उठाएं। उस नोटिस का जवाब तो सुन लीजिए। Let me reply on that notice. आप उत्तर का इंतजार तो कीजिए। क्या आप नोटिस के उत्तर के लिए इंतजार नहीं करेंगे? -(व्यवधान)- मैं सुन रहा हूं। आपने पहले ही मुझे ये तथ्य दे दिए हैं। Let me decide the things. मुझे इसका फैसला करना है।

डॉ0 राजीव बिन्दलः अध्यक्ष जी, यह लोकतंत्र और विधायिका का अपमान है। यह अपमान किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा।

अध्यक्षः आप यहां बोलना चाहते हैं या नोटिस को विड्रॉ करेंगे, बताइये क्या करेंगे? You want to withdraw the notice? एक तरफ आप नोटिस दे रहे हैं और दूसरी तरफ आपने चर्चा शुरू कर दी है। जो आपने नोटिस दिया है उसका जवाब तो सुन लीजिए। -(व्यवधान)- Let the reply come from me. मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा।

22/08/2016/1520/MS/DC/2

-(व्यवधान)- कृपया आप लोग बैठ जाइए। रणधीर जी, कृपा करके बैठ जाइए। आप लोग पहले फैसला कर लीजिए कि किसने बोलना है। -(व्यवधान)-

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो सारा मामला है यह मनगढ़ंत है। मैंने न ही ऐसा कोई बयान दिया है और न मैंने इसको पढ़ा है। अगर पढ़ा होता तो मैं पहले ही खण्डन कर लेता क्योंकि जिस अखबार में यह बयान छपा है वह अखबार बनावटी खबरें छापने के लिए मशहूर है।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमल श्री जे0एस0 द्वारा-

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, हर सत्र से पहले इस तरह का कोई बयान आता है। आपको स्मरण होगा धर्मशाला सत्र में माननीय मुख्य मंत्री ने कहा कि जो उँगली करेगा मैं उसकी उँगली काट दूंगा।

मुख्य मंत्रीः यह भी बनावटी अखबार में छपा होगा।

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः विधान सभा सत्र में आपने कहा कि कोई मेरी तरफ उँगली उठाएगा तो मैं उँगली काट दूंगा। मैंने सदन में कहा था कि आप मुख्य मंत्री हैं चाकू नहीं है कि आप उंगली काटोगे। फिर आपने कहा कि बी0जे0पी0 के विधायक बन्धुआ मज़दूर हैं। बाऊंडरी लेबरर्ज हैं। आपने अपने वे शब्द वापिस लिए। इस बार भी यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण है। हमको यह भी चर्चा करनी पड़ेगी कि श्रद्धांजलि देने में कितना समय लगा करेगा। पार्लियामैंट में केवल अब स्पीकर बोलते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी नहीं बोलते हैं। सदन की तरफ से श्रद्धांजलि दी जाती है। आज इसमें कितना समय लग गया। सत्र में पहले से ही इतना कम समय है और चर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर है। अनेकों मुद्दे हैं। शेक्सपीयर की एक लाईन है। " There is a method in his madness". उसके पागलपन में भी एक स्टाईल है। क्या ऐसी स्टेटमैंट जानबूझ कर सत्र से पहले दी जाती है कि माहौल गर्म हो जाए, नारे लगे, वॉक आऊट हो जाए और मुद्दों पर चर्चा ही न हो सके। आज मुख्य मंत्री महोदय कह रहे हैं कि मैंने कहा ही नहीं । आपने कहा कि एक अखबार छाप देता है। यह ट्रिब्यून ने छापा है, हिन्दुस्तान टाईम्ज ने छापा है, पंजाब केसरी ने छापा है और सब मीडिया में छपा है। इलैक्ट्रोनिक मीडिया वाले कहते हैं कि आपकी उनके पास रिकॉर्डिंग है। अगर आपने नहीं कहा है तो आपको कन्ट्राडिक्ट करना चाहिए था। ....(व्यवधान)...

22.08.2016/1525/जेके/डीसी/2

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैंने यह खबर पढ़ी ही नहीं। मैं यदि इस खबर को पढ़ता तो उसी वक्त इसका खंडन करता। यह बात मेरे संज्ञान में आज ही आई है, क्योंकि मुझे अपनी बात पर यकीन है। I didn't read this newspaper. मैंने अभी तक अखबार नहीं पढ़ा है। ....(व्यवधान)... आप क्या समझते हैं can I use such language for MLA's, why and for what purpose? यह धमकी नहीं है। यह तोड़-मरोड़ कर कुछ बात लिखी होगी। I have never said to the fact what you are saying. जब डॉक्टर परमार जी की पुण्यतिथि थी उस दिन उनके स्टेच्यु के ऊपर फूल मालाएं चढ़ाई और वहां से सीधा मैं विधान सभा आया और इसी सम्बन्ध में विधान सभा में भी प्रोग्राम हो रहा था। ....(व्यवधान)... आज सुबह ही यह खबर मेरे संज्ञान में लाई गई। अगर मैंने यह खबर पहले पढ़ी होती तो निश्चित रूप से मैं इसका जोरदार रूप से खंडन तभी करता। I am sorry that my name has been used in such a way. आप लोग यह समझते हैं कि मैं इस किस्म की भाषा इस्तेमाल करता हूं लेकिन आप लोगों का तो आजकल सारा केम्पेन चाहे पार्टी का हो या किसी का हो वह मेरे पर ही आधारित है। मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं है। मगर मैं कहता हूं कि I never used unparliamentary language in my life.

प्रो0 प्रेम कुमार धूमलः अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि मेरे संज्ञान में ही नहीं आया कि ऐसा कुछ छप गया है। यह इलैक्ट्रानिक मीडिया ने दिखा दिया। आज भी आपका एक बयान छपा है कि जम्मू-कश्मीर की जो स्थिति है इसमें ऐजैंसिज फेल हुई है यह बताने के लिए, क्या आपकी ऐजैंसी फेल नहीं हुई? आपकी ऐजैंसी क्या कर रही है? मुख्य मंत्री के बीहॉफ पर गलत बयान छप रहे हैं तो ऐजैंसी को, डिपार्टमैंट को, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमैंट को जो कि आपके ही अण्डर है और जो आपकी ऐजैंसिज सी0आई0डी0 बगैरह है, उनको आपको बताना चाहिए । मुख्य मंत्री महोदय आपने हमारा ही अपमान नहीं किया, यह सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान है। क्योंकि सभी वोट लेकर यहां आए हैं और सभी को अपने-अपने चुनाव क्षेत्र ने चुना है। ....(व्यवधान)...

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, जब मैंने बोला ही नहीं है तो आप बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हैं?

श्री एस0एस0 द्वारा जारी----

22.08.2016/1530/SS-AG/1

मुख्य मंत्री क्रमागतः

और मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे इसका संज्ञान होता, आज सुबह ही मेरे संज्ञान में यह बात आई है, अगर इससे पहले यह मेरे संज्ञान में होता तो मैं निश्चित रूप से पूरी प्रेस कॉफ्रेंस बुलाकर इसका खण्डन करता और मैं आज इस माननीय सदन में इस खबर का जोरदार रूप से खण्डन करता हूं।

अध्यक्षः जब खण्डन कर दिया तो भारद्वाज जी, let it finish here. इसको खत्म कर दीजिये। प्लीज़। भारद्वाज जी आप क्या बोलना चाहते हैं?

श्री सुरेश भारद्वाजः अध्यक्ष महोदय, हमने एक माननीय मुख्य मंत्री जी का बयान उद्धृत किया और उसके ऊपर पूरे विधायक दल ने आपको प्रिविलेज नोटिस दिया है। माननीय मुख्य मंत्री जी सदन में कह रहे हैं कि मैंने ये शब्द बोले ही नहीं हैं, जिनका 4 अगस्त से लेकर आज तक खण्डन नहीं हुआ। मेरा निवेदन है कि हमारे नोटिस को एडमिट किया जाए और उसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी हो। प्रिविलेज कमेटी को वह मोशन भेजा जाए। Let the Committee decide whether this has been said or not said. मतलब यह कि यह पूरे हाउस का कंटैम्प्ट हुआ है। It is not only a privilege but also the contempt of the House itself.

Speaker: This is not a matter to be discussed now. This is a matter to be discussed later on.

Shri Suresh Bhardwaj: It is also the contempt of the mandate of the people. हमारा निवेदन है कि हमारे प्रिविलेज नोटिस पर आपकी रूलिंग क्या है, इस पर हम आपसे निवेदन कर रहे हैं।

अध्यक्षः मैं आपसे यही कह रहा था कि आपने जो डिस्कशन शुरू की है that was unnecessary because you have already given a notice and you should wait for the decision.

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे।)

22.08.2016/1530/SS-AG/2

आपने नोटिस दिया है। When you have given a notice . . . (Interruption) I want to say one thing. On the one hand you are giving notice. (Interruption) Just a minute. --(व्यवधान)-- मैं मिला नहीं हूं। मैं आपको ठीक बात बता रहा हूं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि on the one hand you are giving a notice and on the other hand you are seeking discussion here. --(व्यवधान)--मुझे बताईये कि एक तरफ आप नोटिस दे रहे हैं और दूसरी तरफ डिस्कशन कर रहे हैं। आपका नोटिस आया है, उस पर डिसीजन होगा और मुझे डिसीजन लेने दीजिए। Why to discuss it here? Please. You have already given a notice.

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

22.08.2016/1530/SS-AG/3

साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्य

अध्यक्षः अब सदन के नेता का वक्तव्य होगा। अब माननीय मुख्य मंत्री माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवायेंगे।

मुख्य मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन को इस सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से अवगत करवाता हूं जोकि इस प्रकार से हैः-

सोमवार, 22 अगस्त, 2016 - शासकीय/विधायी कार्य।

मंगलवार, 23 अगस्त, 2016 - शासकीय/विधायी कार्य।

बुधवार, 24 अगस्त, 2016 - शासकीय/विधायी कार्य।

वीरवार, 25 अगस्त, 2016 - अवकाश।

शुक्रवार, 26 अगस्त, 2016 - (i) शासकीय/विधायी कार्य।

(ii)गैर-सरकारी सदस्य कार्य।

शनिवार, 27 अगस्त, 2016 - शासकीय/विधायी कार्य।

जारी श्रीमती के0एस0

22.08.2016/1535/केएस/एजी/1

स्वीकृत विधेयक सभा पटल पर रखे जाएंगे

अध्यक्ष: अब सचिव, विधान सभा सदन द्वारा पारित उन विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगें, जिन पर महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।

सचिव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न विधेयकों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जिन्हें सदन द्वारा पारित किए जाने के उपरान्त महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है:-

1. हेमाचल प्रदेश आकाशी रज्जु मार्ग संशोधन) विधेयक, 2015 (2016 का अधिनियम संख्यांक 4);
2. मन्त्रियों के वेतन और भत्ता (हिमाचल प्रदेश) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 5);
3. हेमाचल प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष वेतन (संशोधन) विधेयक, 2016

2016 का अधिनियम संख्यांक 6);

4. हेमाचल प्रदेश संसदीय सचिव (नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और मुख सुविधाएं) विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 7);

5. हेमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) संशोधन विधेयक, 2016 2016 का अधिनियम संख्यांक 8);

6. हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 9); और

7. हेमाचल प्रदेश मूल्य परिवर्धित कर संशोधन) विधेयक, 2016 (2016 का अधिनियम संख्यांक 10) ।

22.08.2016/1535/केएस/एजी/2

<u>कागजात सभा पटल पर</u>

अध्यक्षः अब सचिव, विधान सभा, संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन)विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन के लिए लोक सभा के महासचिव से प्राप्त पत्र संख्याः 1/6 (15) 2014/एल-1 दिनांक 11 अगस्त, 2016 के साथ प्राप्त दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखेंगें।

(विपक्ष के सभी माननीय सदस्य माननीय सदन में पुनः वापिस आए)

सचिव: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 के अनुसमर्थन के लिए लोक सभा के महासचिव से प्राप्त पत्र संख्या:1/6(15)/2014/एल-1 दिनांक 11 अगस्त, 2016 के साथ प्राप्त दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

अध्यक्ष: अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगें।

मुख्य मन्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस(सैकेंड अमेंडमेंट), रूल्ज, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:-का0(नि-4)-ए(3)-1/2012-II दिनांक 30.06.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 02.07.2016 को प्रकाशित;

2. आनंद विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1909 (1909 का केन्द्रीय अधिनियम-7) की धारा 6 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश आनंद विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:-एस0जे0ई0-ए-ए(3)-3/2014 दिनांक 29.06.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 30.06.2016 को प्रकाशित;

22.08.2016/1535/केएस/एजी/3

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि-राजभाषा), वर्ग-I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:कार्मिक(नियुक्ति-IV)-ए(1)-01/2015 दिनांक 23.04.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 27.04.2016 को प्रकाशित;

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, वरिष्ठ सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित, लिपिक वर्गीय सेवाएं) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति(चतुर्थ संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-7/2010-I दिनांक 08.06.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.06.2016 को प्रकाशित; और

5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश कार्मिक विभाग, कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक/वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक, वर्ग-III (अराजपत्रित) सामान्य भर्ती और प्रोन्नति(चतुर्थ संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:पीईआर(एपी)-सी-ए(3)-2/2012-I दिनांक 16.06.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 18.06.2016 को प्रकाशित ।

22.08.2016/1535/केएस/एजी/4

अध्यक्षः अब माननीय वन मन्त्री कुछ कागजात सभा पटल पर रखेंगें।

वन मन्त्रीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं:-

1. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, सहायक निदेशक मत्स्य, वर्ग-II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:फिश-ए(3)-2/2014 दिनांक 06.05.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 17.05.2016 को प्रकाशित;

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, फार्म सहायक, वर्ग-III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:फिश-ए(3)-1/2016 दिनांक 01.07.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.07.2016 को प्रकाशित; और

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य क्षेत्रीय सहायक, वर्ग-IV (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (प्रथम संशोधन) नियम, 2016 जोकि अधिसूचना संख्या:फिश-ए(3)-5/2004-II दिनांक 11.07.2016 द्वारा अधिसूचित तथा शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.07.2016 को प्रकाशित ।

22.08.2016/1535/केएस/एजी/5

अध्यादेश

अध्यक्षः अब श्री वीरभद्र सिंह , मुख्य मंत्री, भारत के भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 18.06.2016 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 2)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे ।

मुख्य मन्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस माननीय सदन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 18.06.2016 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 2)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखता हूं।

22.08.2016/1535/केएस/एजी/6

अध्यक्ष: अब श्री सुधीर शर्मा, शहरी विकास मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 04.06.2016 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 1)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखेंगे ।

शहरी विकास मन्त्री: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 (1) के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, द्वारा दिनांक 04.06.2016 को प्रख्यापित, **हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना (संशोधन) अध्यादेश, 2016 (2016 का अध्यादेश संख्यांक 1)** की प्रति उन परिस्थितियों के स्पष्टीकरण के कथन सहित जिनके कारण उक्त अध्यादेश का प्रख्यापन आवश्यक हुआ, (हिन्दी-अंग्रेजी पाठ) सभा पटल पर रखता हूं।

विधायी कार्य अ0व0 की बारी में--

22.8.2016/1540/AV-AS/1

विधायी कार्य :

अध्यक्ष : अब विधायी कार्य होंगे।

सरकारी विधेयक की पुरःस्थापना

अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करेंगे।

22.8.2016/1540/AV-AS/2

बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मन्त्री : हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश कृषि एवं औद्यानिकीय उपज विपणन (विकास एवं विनियमन) संशोधन विधेयक, 2016 (2016 का विधेयक संख्यांक 13) को पुरःस्थापित हुआ।

22.8.2016/1540/AV-AS/3

सरकारी संकल्प :

अब सरकारी संकल्प प्रस्तुत होंगे।

अब माननीय मुख्य मंत्री जी सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन भारत के संविधान में प्रस्तावित संशोधन हेतु संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड 2 के परन्तुक के खण्ड (ख) व (ग) के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन करता है।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि भारत के संविधान में प्रस्तावित संशोधन हेतु संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड 2 के परन्तुक के खण्ड (ख) व (ग) के अंतर्गत संसद के दोनों

सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन करता है।

तो प्रश्न यह है कि भारत के संविधान में संशोधन हेतु संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड 2 के परन्तुक के खण्ड (ख) व (ग) के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा यथापारित संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 का अनुसमर्थन करता है।

(प्रस्ताव स्वीकार)

संकल्प सर्वसम्मति से पारित हुआ।

22.8.2016/1540/AV-AS/4

अब इस मान्य सदन की बैठक मंगलवार, 23 अगस्त, 2016 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

शिमला-171 004 **सुन्दर सिंह वर्मा,**
दिनांकः 22 अगस्त, 2016 **सचिव ।**